संख्या-18/2019/100 ई-2/तेरह-2019-50/2011

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय:-जनपद बरेली में स्काई गार्डेन, रेस्टोरेन्ट (फोर फेदर्स की इकाई) को बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृ ष्ठांकितअपने पत्र संख्या-2239/आबकारी/बार अनुज्ञापन, दिनांक 16 अक्टूबर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट दिनांक 11-10-2018 में की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-171/दस-लाइसेंस-07/एफ0एल0-7/स्काई गार्डेन/बार अनुज्ञापन/बरेली/, दिनांक 07 जनवरी,2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत श्री आशीष तैयल पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद तैयल नि0 35एफ/3 रामपुर गार्डेन, बरेली द्वारा संचालित स्काई गार्डेन, रेस्टोरेन्ट (फोर फेदर्स की इकाई),पता प्लाट नं0-108/54, सिविल लाइन्स, बरेली को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-18/2019/100(1)ई-2/तेरह-2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या- जी-171/दस-लाइसेंस-07/एफ0एल0-7/स्काई गार्डेन/बार अनुज्ञापन/बरेली/, दिनांक 07 जनवरी,2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।